भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1214

दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

रासायनिक क्षेत्र में एसएमई के लिए सहायता

1214. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-प्रमुख समूहों में अपशिष्ट पुनर्चक्रण सहित चक्रीय अर्थव्यवस्था मानकों को पूरा करने के लिए रसायन क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2016 जैसी नीतियों के अंतर्गत सहायता प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां साठ प्रतिशत लघु उद्योग लाल श्रेणी के हैं और नदी प्रदूषण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसके कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है और क्षेत्रीय विविधताएं क्या हैं;

(ग) एमएसई-स्पाइस और पीएलआई योजना एकीकरण जैसी पहलों के लिए समय-सीमा सहित उच्च अनुपालन लागत और कम अनुसंधान और विकास व्यय (राजस्व का 0.7%) जैसी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त उपायों के स्थानीय समुदायों सहित हितधारकों के लिए किस प्रकार लाभप्रद होने की संभावना है जिससे वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र की वृद्धि 400-450 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान एवं प्रबंधन हेतु, खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। उक्त नियम अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों जैसे रोकथाम; न्यूनीकरण; पुन: उपयोग; पुनर्चक्रण; पुनर्प्राप्ति; सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और सुरक्षित निपटान को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं।

किसी भी व्यक्ति द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, उत्पादन, संग्रह, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, उपचार, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री के लिए पेशकश, हस्तांतरण या निपटान संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

एक इकाई द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट का कच्चे माल के रूप में दूसरे इकाई द्वारा उपयोग किए जाने हेतु उद्योग से अनुरोध प्राप्त होने पर खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के तहत, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जाती हैं, यह तंत्र सुरक्षित अंतर-उद्योग अपशिष्ट पुन: उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के खतरनाक कचरे के उपयोग के लिए 127 मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की हैं।

उक्त नियमों में सामान्यतः पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों की सूची भी दी गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उक्त अपशिष्टों के पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट पर डाला है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यान्वयन की स्थिति:

खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के उत्पादन और प्रबंधन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सूची तैयार की जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, खतरनाक अपशिष्टों के पुनर्चक्रण में 2,317 इकाइयाँ और उक्त के उपयोग में 1,231 इकाइयाँ कार्यशील हैं। इन इकाइयों ने 2.34 मिलियन मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया है और 1.97 मिलियन मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ राज्य में 587 खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाइयाँ, 36 पुनर्चक्रणकर्ता, 40 अधिकृत उपयोगकर्ता और 175 आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2,12,848 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या उपयोग किया गया है।

खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के उत्पादन और प्रबंधन पर वार्षिक राष्ट्रीय सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है और उनकी वेबसाइट पर डाली जाती है, जिसमें राज्यवार खतरनाक अपशिष्टों की सूची शामिल होती है।

(ग) और (घ)

इस क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:

एमएसई-स्पाइस: सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) - सर्कुलर अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन एवं निवेश योजना (एसपीआईसीई) का कार्यान्वियन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 की अवधि के लिए परिव्यय 472.50 करोड़ रुपये है।

इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को प्लास्टिक, रबर और ई-कचरा प्रबंधन सहित विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबंधन में सर्कुलर अर्थव्यवस्था पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके एमएसएमई क्षेत्र में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और कचरा पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करती है, साथ ही संसाधन दक्षता, लाभप्रदता और लागत में कमी लाने के लिए जागरूकता का प्रसार करती है।

एमएसई-स्पाइस योजना के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सर्कुलर अर्थव्यवस्था परियोजनाओं के लिए संयंत्र और मशीनरी लागत पर 25% की सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 12.5 लाख रुपये है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस विभाग ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) जैसी पहल शुरू करके इस क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से विभाग क्लस्टर आधारित मॉडल में उद्योग को बढ़ावा देता है, जो सतत विकास एवं सर्कुलर अर्थव्यवस्था की भी सुविधा प्रदान करता है। दाहेज (गुजरात), विशाखापत्तनम-काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) में तीन पीसीपीआईआर स्थापित किए गए हैं।

*****